

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 6026/2022

Raeesh Khan S/o Shri Rahimuddin, Aged About 39 Years, R/o
Sesha Police Station Malarana Dungar, District Sawai Madhopur
(Raj).

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.P.
2. Tvs Credit Services Limited, Gehlot Tractor, Khairda,
Sawai Madhopur (Raj).

----Respondents

For Petitioner(s)	: Mr. Devi Singh Choudhary
For Respondent(s)	: Mr. Vijay Singh Yadav, PP Mr. O.P. Mishra

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI
Order

29/04/2026

याची/अभियुक्त की ओर से यह याचिका धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विद्वान विशिष्ट न्यायाधीश अजा/अजजा (अ.नि.) प्रकरण सवाई माधोपुर द्वारा फौजदारी निगरानी संख्या 21/2022 (121/2021) में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 24.05.2022 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा याची/निगरानीकर्ता रईस खान द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज की गई है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 14.12.2021 की पुष्टि की गई है। विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर (राज.) ने याची रईस खान का सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिनांक 14.12.2021 में अंकित राशि का 4,00,000/- रुपए की बैंक गारंटी जमानतनामे के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के आदेश से व्यथित होकर यह याचिका प्रस्तुत की है।

याची के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि याची रईस खान प्रश्नगत वाहन ट्रैक्टर मैसी DI नंबर RJ 25 RB 5129 का पंजीकृत स्वामी है, जिसको प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 298/2019 पुलिस

थाना मानटाउन, सवाई माधोपुर में दर्ज करवाकर जब्त किया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने याची को जब्त वाहन का पंजीकृत स्वामी होना मानकर प्रकरण में जब्त ट्रैक्टर को सुपुर्दगी पर दिए जाने का आदेश दिया था, लेकिन 4,00,000/- रुपए की बैंक गारंटी दिए जाने की शर्त विधि-विरुद्ध है। अतः उक्त शर्त को हटाया जाकर विद्वान विचारण न्यायालय तथा विद्वान निगरानी न्यायालय का शेष आदेश पुष्ट किया जावे, क्योंकि बैंक गारंटी लगाए जाने का कोई न्यायसंगत उचित आधार नहीं है। याची गरीब कृषक है और वह 4,00,000/- रुपए की बैंक गारंटी देने की स्थिति में नहीं है। बैंक गारंटी के अभाव में ट्रक पड़ा हुआ खराब हो रहा है। *Rajaram Meena Versus The State of Rajasthan; S.B. Criminal Misc. Petition No. 3988/2016; order dated 08.09.2016* में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने भी बैंक गारंटी की शर्त को हटाया है। अतः याची की ओर से प्रस्तुत यह याचिका स्वीकार की जावे।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक तथा विद्वान लोक अभियोजक का कथन है कि बैंक गारंटी की शर्त हटा दी जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पुलिस थाना मानटाउन, सवाईमाधोपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 298/2019 में ट्रैक्टर मैसी DI RJ 25 RB 5129 को जब्त किया गया था। जिसका पंजीकृत स्वामी याची रईस खान होना बताया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश दिनांक 14.12.2021 में याची को 4,00,000/- रुपए की बैंक गारंटी जमानत के रूप में प्रस्तुत किए जाने का कोई न्यायसंगत उचित आधार उल्लेखित नहीं किया है, न ही विद्वान निगरानी न्यायालय ने निगरानी में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 24.05.2022 में इस तथ्य को उल्लेखित किया है कि किन आधारों पर 4,00,000/- रुपए की बैंक गारंटी जमानत के रूप में दिए जाने का कोई न्यायसंगत उचित आधार है। याची का ट्रैक्टर कृषि के रूप में प्रयोग में आना बताया गया है। बैंक गारंटी के अभाव में ट्रक पड़ा हुआ खराब हो रहा है। 4,00,000/- रुपए की बैंक

गारंटी जमानत के रूप में दिए जाने का कोई न्यायसंगत उचित आधार नहीं है।

अतः उक्त 4,00,000/- रुपए की बैंक गारंटी जमानत के रूप में दिए जाने का आलोच्य आदेश निरस्त किया जाकर, उसी राशि का प्रतिभू याची द्वारा प्रस्तुत किए जाने के आधार पर प्रकरण में जब्त वाहन को सुपुर्दगी पर दिए जाने का आदेश प्रदान किया जाना न्यायसंगत व उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः याची द्वारा प्रस्तुत यह याचिका अंतर्गत धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता स्वीकार की जाकर उक्त वाहन विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 298/2019 पुलिस थाना माउन टाउन, जिला सवाईमाधोपुर के अंतर्गत फौजदारी प्रकरण संख्या 1080/2021 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 14.12.2021 तथा विद्वान निगरानी न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश अजा/अजजा (अ.नि.) प्रकरण सवाई माधोपुर द्वारा फौजदारी निगरानी याचिका संख्या 21/2022 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 24.05.2022 में आंशिक संशोधन करते हुए याची को 4,00,000/- रुपए की बैंक गारंटी जमानतनामे के रूप में न्यायालय प्रस्तुत करने पर वाहन को सुपुर्दगी पर दिए जाने का आदेश अपास्त किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि उसी राशि का प्रतिभू याची द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर वाहन को अन्य किसी प्रकरण में वांछित ना होने पर इस प्रकरण में याची के सुपुर्द कर दिया जावे। विद्वान विचारण न्यायालय तथा विद्वान निगरानी न्यायालय द्वारा वाहन की सुपुर्दगी के संबंध में दी गई अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

संलग्न लंबित प्रार्थना पत्र यदि कोई हों, भी निस्तारित किए जाते हैं।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J